

(1) प्रकरण संख्या 6/2022 राजीग बनाम अम्बावा व अन्य  
(2) प्रकरण संख्या 7/2022 राजीग बनाम अम्बावा व अन्य

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.04.2025	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की वाद पत्र की कलम संख्या 1 "अ" में वर्णित आराजी नंबर 4646, 4648 से 4660, 4662, 4663, 4665, 4698, 4705 से 4708 कुल किता 22 रकबा 2.8250 हैक्टर एवं "ब" में वर्णित आराजी नंबर 4620 से 4644, 4678 से 4681, 4703, 4704, 4709, 4710 कुल किता 33 रकबा 3.4300 हैक्टर भूमि ग्राम उमरडा, तहसील गिर्वा में स्थित है। पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु भूमियां संयुक्त होने से आये दिन विवाद होता है। अतः विवादित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।</p> <p>अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 17.06.2017 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 06.03.2019 को अंतिम डिक्री जारी की।</p> <p>उक्त प्रारम्भिक डिक्री से दिनांक 17.06.2017 से रूष्ट होकर अपीलान्त द्वारा अपील संख्या 6/2022 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 06.03.2019 के विरुद्ध अपील संख्या 7/2022 इस न्यायालय में दिनांक 17.01.2022 को प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों अपीलों में विवादित आराजियात तथा पक्षकारान समान होने से दोनों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।</p> <p>दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस</p>	



(1) प्रकरण संख्या 6/2022 राजीग बनाम अम्बावा व अन्य  
(2) प्रकरण संख्या 7/2022 राजीग बनाम अम्बावा व अन्य

जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, 2, 4 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 28 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरसिंह राव उपस्थित हुए। अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी, जमाबन्दी की नकल हेतु ई-मित्र के संचालक से कहा तो पता चला कि उक्त जमीन का बंटवारा हो चुका है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में अपीलान्त की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्त को होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलों श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा अपीलान्त के परोक्ष में एकपक्षीय डिक्री जारी की है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है, फिर भी बिना सहमति के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्त को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपीलों स्वीकार

(1) प्रकरण संख्या 6/2022 राजीग बनाम अम्बावा व अन्य  
(2) प्रकरण संख्या 7/2022 राजीग बनाम अम्बावा व अन्य

कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पॉन्डेन्ट ने भी प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित बताया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.06.2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जबकि राजस्व अदालतों में सहमति के प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। आदेशिका पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें विभाजन नियम 18 से 21 की पालना की जाना प्रकट नहीं है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री भी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। इसके अलावा स्वयं अधिवक्ता रेस्पॉन्डेन्ट ने भी प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का कथन किया है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 68/2016 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.06.2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.03.2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर